न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 57 / 2020

–: प्रार्थी :–

1. राधेश्याम पुत्र राजाराम जाति महाजन निवासी पालड़ी राणावतां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. मेहराराम पुत्र भीकाराम
2. सुन्दरी पत्नि फुसाराम
3. जीवणराम पुत्र फुसाराम
   जातियान मेघवाल निवासी पालड़ी राणावतां
4. दीपाराम पुत्र मेहराराम
5. पीराराम पुत्र मेहराराम
6. अणदुडी पत्नि मेहराम
7. नारायणराम पुत्र भीकाराम
8. रूपाराम पुत्र भीकाराम
   जातियान गुर्जर निवासी पालड़ी राणावतां
9. श्रीकिशन पुत्र मीसाराम जाति गरूडा निवासी लवेरा कलां तहसील बावड़ी
10. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल
11. नन्दकिशोर पुत्र बाबूलाल
12. पुरूषोतम पुत्र बाबूलाल
13. कुशाल पुत्र ब्रजमोहन
14. विशाल पुत्र ब्रजमोहन
    जातियान महाजन निवासी पालड़ी राणावतां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
15. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दि. 02/07/2021

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण [illegible]श किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थी के खातेदारी, कब्जेकाश्त का खेत खसरा नं. 174 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

राजस्व ग्राम पालड़ी राणावतां तहसील भोपालगढ़ में आया हुआ है, जिसके पडोस निम्न प्रकार है:–

उत्तर में	–	ख.नं. 173 आया हुआ है।
दक्षिण में	–	ख.नं. 175 व 167
पूर्व में	–	ख.नं. 168 व 169
पश्चिम् में	–	ख.नं. प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 177 का हिस्सा आया हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त पडौसियान के बीच में प्रार्थी के खातेदारी भूमि आयी हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि के फसल की रक्षा हेतु पत्थरगढी करवाकर कंटीले तार खींचवाना चाहते है इसलिये प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 15 भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ के यहां आवेदन कर खातेदारी भूमि का पेमाईश दिनांक 23.06.2020 को प्रार्थी व मौतबिरान एवं पडौसियान के अरू बरू नाप चोप्र कर प्रार्थी की भूमि की सीमा चिन्हित की गई उक्त चिन्हित सीमा पर प्रार्थी द्वारा रोपणीये रोपकर खेत के चारों तरफ तारबंदी करवाना चाहते है, जिससे प्रार्थी के खेत में खडी फसल को आवारा पशु, सुअर एवं जंगली जानवर आदि फसल को नुकसान नही पहुंचा सके, लेकिन प्रार्थी के पडौसी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 है, प्रार्थी जब मजदूर लेकर हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा बतायी गयी सीमा पर रोपणीये रोपने हेतु दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया तो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने प्रार्थी के खेत की सीमा पर पत्थर (रोपणीय) रोपने से मना कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के सीमा पर पत्थरगढी करने में विधि विरूद्ध अडचन, रूकावट, विघ्न पैदा कर रहे है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 को प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी करने में किसी भी प्रकार की अडचन, रूकावट पैदा करने का कानूनन अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 14 प्रार्थी के खेत के पडौसी होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 15 भूमिधारी होने के कारण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाये गये है। अतः प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत राजस्व ग्राम पालडी राणावतां के खसरा नं. 174 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 14 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थी के राजस्व ग्राम पालडी राणावतां के खसरा नं. 174 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं नाप चौप कर पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111/12... राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पालडी राणावतां के खसरा नं. 174 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

संसाधन प्रार्थी उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested